राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/00911/2011–12 जयपुर, दिनांक : 25 MAY 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के समय के संबन्ध में।
प्रसगः–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में अत्यधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्यो का समय तुरन्त प्रभाव से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक (विश्रामकाल 1 घण्टे सहित) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिव, मुख्यमंत्री जी।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. आयुक्त, ईजीएस।
7. समस्त जिला प्रभारी सचिव।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त।
9. मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner